

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14.05.2019 थाना इरादतनगर जनपद आगरा।

दिनांक 20.04.2019 को थाना इरादतनगर क्षेत्र से हुए पिता पुत्र के अपहरण करने वाले गैंग के 06 अपहरणकर्ताओं को दिनांक 13.05.2019 को आगरा पुलिस टीम साहसी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में मिली सफलता, गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से नाजायज असलाह व कारतूस व अन्य सामग्री बरामद.....

दिनांक 21.04.2019 को वादी श्री फतेहसिंह पुत्र भोलाराम निवासी कछपुरा पुसैता थाना इरादत नगर जनपद आगरा द्वारा अपने पुत्र दिनेश उम्र करीब—32 वर्ष व दिनेश के 8 वर्षीय पुत्र की गुमशुदगी दर्ज कराई गयी। जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि दिनेश कुशवाह जो कस्बा इरादतनगर में परचून की दुकान करते हैं अपने पुत्र कृष्णा के साथ दिनांक 20.04.2019 को समय करीब 7—8 बजे शायंकाल अपनी दुकान बंद करके अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए चले थे। घर न पहुँचने पर तलाश किया गया तो उनकी मोटरसाइकिल ग्राम छक्कन गढ़ी थाना इरादतनगर और मंदिर के बीच सड़क पर मिली। दिनांक 22.04.2019 को अपहृत के परिजनों से रू० 60 लाख की फिरौती की मांग की गयी। इस सम्बंध में थाना इरादतनगर जनपद आगरा पर मु०अ०सं० 41/2019 धारा 364ए भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त अपहृत पिता पुत्र को अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी, पुलिस अधीक्षक यातायात/पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में निरीक्षक विनोद कुमार पायल थाना प्रभारी इरादतनगर, निरीक्षक अनुज कुमार थाना प्रभारी सिकन्दरा, निरीक्षक अजय कौशल थाना प्रभारी न्यूआगरा एवं क्राइम ब्रान्च प्रभारी उ०नि० अरुण कुमार बालियान को सयुक्त टीमों का गठन कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में पूर्व में गठित टीमों द्वारा जमीनी साक्ष्य, अभिसूचना संकलन किया जाने लगा तथा स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया गया। तथा गठित टीमों द्वारा विषम परिस्थितियों में जनपद धौलपुर व जनपद मुरैना के बिहड़ों में लगातार पुराने अपहरण करने वाले गैंग के बारे में सूचना संकलन किया गया। जनपद धौलपुर/जनपद मुरैना पुलिस से लगातार समन्वय बनाकर सूचनाओं का आदान—प्रदान किया गया। बीच—2 में विभिन्न तिथियों पर अपहृत के परिजनों से फिरौती की मांग की जाती रही। पुलिस टीमों द्वारा इस दौरान क्रमबद्ध प्रगति के आधार पर कुछ संदिग्धों को चिह्नित किया गया, तत्पश्चात जानकारी मिली कि गब्बर व उदयभान गैंग ने इरादतनगर में पिता पुत्र के अपहरण की घटना को अंजाम दिया है, जिनको घरों पर तावड़ तोड़ दविशें दी गयीं। अपहृत पिता पुत्र को रखे जाने वाले सम्भावित ठिकानों (चम्बल के बीहड़ों) पर सघन कॉम्बिंग की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अपहरणकर्ताओं द्वारा हताश होकर एवं गठित पुलिस टीमों का दबाव पड़ने पर दिनांक 06.05.2019 को अपहृत पिता पुत्र को थाना मनिया क्षेत्र से अपहरणकर्ता कहीं सुनसान जगह पर ले जाने के दौरान अपहरणकर्ताओं ने अपने आप को पुलिस पार्टी के द्वारा घिरता देख दोनों अपहृत पिता पुत्र को बंधा छोड़कर भाग गये थे।

● घटना का सफल अनावरण :-

इसी क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सूचना संकलन एवं पतारसी सुरागसी के माध्यम से लगातार दविशें दी जा रही थीं। इसी क्रमानुसार आज दिनांक 13.05.2019 को गठित पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग

अभियान के दौरान मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मु.अ.सं. 41/2019 धारा 364ए/395 भा.द.वि. से सम्बंधित अपराधीगण एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी में सवार होकर राजस्थान से डूंडीपुरा पटपुरा से होते हुए शमशबाद की तरफ जा रहे हैं जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं। उपरोक्त सूचना पर मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर अपराधियों का छिपकर इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात मुखविर द्वारा बतायी गयी एक सफेद रंग की स्कार्पियो पटपुरा की तरफ आती दिखाई दी। स्कार्पियो में सवार बदमाश पुलिस पार्टी द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने अपने आप को बचाते हुए एक बारगी दविश देकर घर घोटकर आवश्यक बल का प्रयोग कर अजीतापुरा पुलिया के पास से 05 पुरुष अभियुक्तगण एवं 01 महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक स्कार्पियो रजि0 न0-RJ 11 UA 1652 व जामा तलाशी के दौरान असलाह मय जिन्दा कारतूस/खोखा कारतूस एवं अपहृत पिता पुत्र से छीनी गयी घड़ी व कालारंग का एक बैग जिसमें अपहृत पिता की दुकान के चाबी का गुच्छा व बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, आदि सामान बरामद हुआ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बंध में थाना इरादतनगर जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 50/2019 धारा 307/34 भा.द.वि. बनाम गिरफ्तार अभियुक्तगण व मु0अ0सं0 51/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त राकेश, मु0अ0सं0 52/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त निरंजन एवं मु0अ0सं0 53/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम श्रीकेश उर्फ ऋषिकेश पंजीकृत किया गया।

● **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-**

01. राकेश पुत्र नन्दकिशोर निवासी भीका का पुरा थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान।
02. निरंजन पुत्र चिरोंजी निवासी कितोई निकट गया का पुरा थाना देवगढ़ जनपद मुरैना म.प्र.।
03. श्रीकेश उर्फ ऋषिकेश पुत्र उदयभान निवासी ग्राम मोरौली थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान।
04. सुनील कुमार पुत्र स्व. रामबाबू निवासी ग्राम सदूपुरा थाना इरादतनगर जनपद आगरा।
05. लाकेन्द्र उर्फ लुक्का पुत्र उदयभान निवासी मोरौली थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान, हाल निवासी गूजर कॉलोनी 100 फुटारोड़ थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान।
06. रामदुलारी पत्नी उदयभान निवासी ग्राम मोरौली थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान, हाल निवासी गूजर कॉलोनी 100 फुटारोड़ थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान।

● **बरामदगी का विवरण :-**

01. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद कारतूस।
02. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर 02 जिन्दा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस।
03. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर 02 जिन्दा कारतूस।
04. दो अदद अंगूठी सफेद धातु, जो कि अपहृत पिता से छीनी गयी थी।
05. एक घड़ी जो कि अपहृत पिता से छीनी गयी थी।
06. एक बैग जिसमें अपहृत पिता के सभी कागजात एवं कैनरा बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, एवं दुकान की चाँबीयों का गुच्छा।
07. घटना में प्रयुक्त एक स्कार्पियो रजि0 न0-RJ 11 UA 1652

● **वांछित अभियुक्तगण का विवरण :-**




01. गब्बर पुत्र रामभरोसी निवासी करगा खिल्ली थाना दीहोली जनपद धौलपुर राजस्थान ।
02. उदयभान पुत्र शंकर निवासी ग्राम मोरौली थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान, हाल निवासी गूजर कॉलोनी 100 फुटारोड थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान ।
03. देवेन्द्र उर्फ देवा पुत्र रामखिलाड़ी निवासी ग्राम भीका का पुरा थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान ।
04. सोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम भीका का पुरा थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान ।
05. जोगेन्द्र पुत्र रामधन निवासी मोरौली थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान ।
06. विष्णु पुत्र औतार सिंह निवासी गया का पुरा थाना सराय छोला जनपद मुरैना म. प्र. ।
07. पप्पू पुत्र नामालूम निवासी जनपद धौलपुर ।
08. ज्ञानी पुत्र नामालूम निवासी जनपद धौलपुर ।

● **आपराधिक इतिहास का विवरण :-**

01. मु0अ0सं0 41/2019 धारा 364ए/395/412/120बी भा.द.वि. थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 50/2019 धारा 307/34 भा.द.वि. थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।
03. मु0अ0सं0 51/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त राकेश थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।
04. मु0अ0सं0 52/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त निरंजन थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।
05. मु0अ0सं0 53/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त श्रीकेश उर्फ ऋषिकेश थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।

● **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-**

01. निरीक्षक विनोद कुमार पायल थाना प्रभारी इरादतनगर जनपद आगरा ।
02. निरीक्षक अनुज कुमार थाना प्रभारी सिकन्दरा जनपद आगरा ।
03. निरीक्षक अजय कौशल थाना प्रभारी न्यूआगरा जनपद आगरा ।
04. उ0नि0 अरुण कुमार बालियान प्रभारी क्राइम ब्रान्च जनपद आगरा ।
05. उ0नि0 सोनू कुमार सिटी सर्विलान्स टीम जनपद आगरा ।
06. व0उ0नि0 अशोक शुक्ला थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।
07. है0कां0 599 आदेश त्रिपाठी, है0कां0 482 राजेश कुमार, है0कां0 604 अरुण कुमार, कां0 2027 सचिन, कां0 1631 हृदेश कुमार, कां0 1491 पंकज, कां0 4326 दीपू, कां0 2206 युवराज सिंह, कां0 3554 प्रशान्त कुमार, कां0 3378 करनवीर सिंह, कां0 847 अजीत कुमार, कां0 286 राजकुमार, कां0 3751 विवेक कुमार, कां0 चालक मुकेश कुमार क्राइम ब्रान्च जनपद आगरा ।
10. कां0 29 अवधेश कुमार, कां0 851 देवेन्द्र सिंह, म0कां0 4510 पूजासिंह थाना इरादतनगर जनपद आगरा ।





मीडिया सेल आगरा पुलिस।